कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3) / नि.आ. / जो.स्त.स. / का.वि. / 2023 / 3478 दिनांकः– 19/1/23

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि / अभियान / 2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 14 / 2023 वीं बैठक दिनांक 18.1.2023 को उपायुक्त (जोन–6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 586, सर्वेयर अनुसार रकबा 13542.03 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण तथ्य–

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवासीय मकान निर्मित है।
2. जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल 13111.81 वर्गमीटर है एंव सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 13542.03 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ सं 2 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 586 विधि शाखा में वाद लंबित नही है।
4. पत्रावली के पृष्ठ सं 18 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 586 आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40–41 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकार्ड अनुसार क्रमश 80, 66 फीट पहूँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 48 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़को का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरांत क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है।

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	8474.29	62.58
2.	सुविधा	418.18	03.09
3.	सडक	4649.56	34.33
कुल		13542.03	100.00

निर्णय :— **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार—विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—**

01. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
03. आवेदित भुमि को पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार MDP,31 अनुसार 36 मीटर हैं, उसका ले—आउट में अंकन किया जाये।
04. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चितता की जावें।
05. उक्त ले—आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	~~सहायक~~/अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3479-84 **दिनांकः—** 19/1/23

प्रतिलिपी :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन—6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक जोन—6
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर